राजस्व लोक अदालत ''न्याय आपके द्वार'' कैम्प 2015 ग्राम पंचायत बोरवा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत बोरवा

प्रकरण सं. – 113/2014 रे0वा0 निर्णय दिनांक– 06.07.2015

अनवान

1. श्रीमति जीना पुत्री अजमाल उर्फ जमाल जाति फकीर निवासी मानानंगला बोरवा तहसील भीम

वादी

बनाम

1. श्री अजीतसिंह पिता गैनासिंह जाति रावत निवासी मानानंगला बोरवा तहसील भीम

प्रतिवादी

<u>वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 188 आरटीए</u>

यह कि ग्राम मानानंगला पटवार हल्का बोरवा भू0अ0 क्षेत्र लगेतखेडा तहसील भीम जिला राजसमन्द मे वादिया के खातेदारी स्वामित्व की निम्न भूमि स्थित है जो कि वादिया के खाते दर्ज होकर आधिपत्य स्वामित्व व कब्जे में है:–

खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा			किस्म
		बीघा	बिस्वा	बिस्वांसी	
32	185	00	10	00	बारानी
	कुल किता 1 रकबा 10 बिस्वा				

वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात वादिया के पिता की मोरूषी जायदाद होने से उक्त भूमि वादिया के स्वामित्व खातेदारी व आधिपत्य की है एवं उक्त भूमि पर वादिया का शान्ति पूर्ण उपयोग उपभोग व कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी उक्त भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने की नियत से वादिया द्वारा लगाई गई बाड को हटाने की कोशिश कर रहा है तथा प्रतिवादी वादिया की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तथा प्रतिवादी वादिया की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तथा वादिया को उक्त आराजी वाली भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहा रहा है।

प्रतिवादी को बार बार समझाने पर भी प्रतिवादी नही मान रहा है तथा वादिया को उसके स्वामित्व व कब्जे की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहा है तथा जबरदस्ती कब्जा करने की नियत से उक्त भूमि पर लडाई झगडा कर रहा है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वादी का वादपत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प बोरवा** मे पेश हुआ। वादी एवं प्रतिवादीगणो को आपसी समझाईश से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। कलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का दखल नही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

सहायक कलक्टर एवं
पीठासीन अधिकारी भीम
उपखण्ड अधिकारी
जिला - राजसमन्द

Scanned by CamScanner